फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

मंगलाराम बनाम लादुराम

किस्म मुकदमा .....225.आर.टी.एक्ट..... मुकदमा नंबर.....103/.....सन.2022 2022.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
7/9/2022	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर रायपुर द्वारा राजस्व विविध संख्या 13/2020 बअनवान लादुराम बनाम मंगलाराम में पारित आदेश दिनांक 07.08.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर अधिवक्ता अपीलाण्ट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण वर्णित आराजी मौजा रायपुर प्रथम तहसील रायपुर के वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 738/5 रकबा 3.10 बीघा, खसरा नम्बर 738/7 रकबा 6.12 बीघा, खसरा नम्बर 744/10 रकबा 2.09 बीघा के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी का पूर्व खातेदार स्व. सुराराम जी के जीवनकाल में ही 35 वर्षो पूर्व उनके विधिक वारिसान के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा किया जा चुका है एवं तब से ही सभी पक्षकार अपने–अपने हक हिस्से अनुसार बंट में आई कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त, उपयोग एवं उपभोग कर रहे है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लादुराम बदनियति पूर्वक नया बंटवारा कराने पर आमादा है। इसके अतिरिक्त सभी पक्षकार पूर्व में हुए बंटवारे अनुसार ही बंटवारा चाहते है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट रेकर्डड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की आड में वादग्रस्त आराजी के उपयोग–उपभोग करने में वंचित हो रहे है। अपीलाण्ट अपने हक हिस्से की भूमि पर ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से भी वंचित हो रहे है। जिससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे। एवं अप्रार्थीगण को अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी में दखलदांजी करने से रोके जाने का आदेश फरमावे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका (ऑर्डरशीट) की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.08.2020 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने लगभग 2 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण प्रतिवादीगण के तलवी में विचाराधीन है। इतने लम्बे समय तक स्थगन आदेश का निस्तारण नहीं होने से खातेदार अपने अधिकारो से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते है। अतः हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2020 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है। तद्नुसार सहायक कलेक्टर रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 13/2020 बउनवान लादूराम बनाम मंगलाराम के संबंध में उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 2 माह के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली